उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या– 47 / उनिलि / रिफॉर्म / विनियम:190–190.38 / मु0नि0स0 / 2020 दिनांक: 25 / 02 / 2021

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 05.02.2021 को सम्पन्न 190वीं बैठक में एजेण्डा आइटम सं0 190.38 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में "उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 मुख्यालय निजी सचिव सेवा विनियमावली–2020", एतद्द्वारा, निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है:–

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुख्यालय निजी सचिव सेवा विनियमावली–2020

भाग–एक–सामान्य

1. यह विनियमावली "उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुख्यालय निजी सचिव सेवा विनियमावली–2020" कही जायेगी।
2. यह विनियमावली निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
3. उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की यह निजी सचिव सेवा, निगम मुख्यालय के समूह 'क' एवं समूह 'ख' के मुख्यालय स्तर की सेवा है, जिसमें भाग–2 के बिन्दु–2 में निर्दिष्ट पद सम्मिलित हैं।
4. जब तक विषय एवं संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस विनियमावली में:–
   - क) "निदेशक मण्डल" का तात्पर्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल से है।
   - ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदों के सम्बन्ध में अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से है।
   - ग) "मुख्यालय" का तात्पर्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मुख्यालय से है।
   - घ) "निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)" का तात्पर्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) से है।
   - ङ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य, किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

1. सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी निदेशक मण्डल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायेगी।
2. जब तक उपरोक्त उपनियम–1 के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाए। प्रत्येक श्रेणी के पद एवं उनकी संख्या निम्नवत होगी :–
   (1) निजी सचिव (श्रेणी–2) – 02

(2) निजी सचिव (श्रेणी–1) – 01

(3) निजी सचिव (विशेष श्रेणी) – 01

3. नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या आस्थगित रख सकता है।
4. निदेशक मण्डल अतिरिक्त पदों का सृजन भी कर सकते हैं यदि वह उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

1. निजी सचिव (श्रेणी–2)	– प्रोन्नति द्वारा, मुख्यालय संवर्ग के ऐसे स्थायी अपर निजी सचिव पदधारकों में से, जिन्होंने चयन वर्ष की पहली जुलाई को अपर निजी सचिव के पद पर कम से कम 09 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।
2. निजी सचिव (श्रेणी–1)	– प्रोन्नति द्वारा, मुख्यालय संवर्ग के ऐसे निजी सचिव (श्रेणी–2) पदधारकों में से, जो इस विनियमावली के भाग–छः में निहित प्राविधानों के अधीन स्थायी घोषित हो चुके हों तथा जिन्होंने चयन वर्ष की पहली जुलाई को अपर निजी सचिव एवं निजी सचिव (श्रेणी–2) के पदों पर की गयी सेवावधियों को मिलाकर कम से कम 14 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।
3. निजी सचिव (विशेष श्रेणी)	– निजी सचिव (श्रेणी–1) के पद से प्रोन्नति द्वारा।

भाग–चार :–चयन की प्रक्रिया

1. निजी सचिव (श्रेणी–2), निजी सचिव (श्रेणी–I) एवं निजी सचिव (विशेष श्रेणी) के पदों पर चयन का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। चयन समिति निम्नवत् गठित की जायेगी:–

1)	निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)	–	अध्यक्ष
2)	पिछड़े वर्ग से अधीक्षण अभियंता स्तर का अधिकारी	–	सदस्य
3)	अनुसूचित जाति वर्ग से अधीक्षण अभियंता स्तर का अधिकारी	–	सदस्य

2. ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में, एक पात्रता सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में रखे जायेंगे:–

01 से 05 रिक्तियों के लिये	:	रिक्तियों की संख्या के दुगने किन्तु कम से कम 05
05 से अधिक रिक्तियों के लिये	:	रिक्तियों की संख्या के डेढ़ गुने किन्तु कम से कम 10

परन्तु यदि भर्ती के एक वर्ष से अधिक वर्षों के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिये चयन किया जाना है तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के लिये पृथक–पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी।

3. अभ्यर्थियों की पात्रता सूची को उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा तथा इसके साथ ही रिक्तियों की संख्या भी सूचित की जायेगी।

4. चयन समिति निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी तथा चयनित किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी जिसके आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियॉ की जायेगी।

भाग–पाँच–परिवीक्षा

1. निजी सचिव (श्रेणी–2) के पद पर उसकी मौलिक/स्थानापन्न रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति उपरांत 01 वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
2. नियुक्ति प्राधिकारी कारणों का उल्लेख करते हुए अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को 06 मास तक बढ़ा सकता है किंतु बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि किसी भी परिस्थिति में 01 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या अवधि के अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यदि यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोषजनक सेवा में विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
4. उपरोक्त उपनियम–3 के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

भाग–छ :–स्थायीकरण

1. निजी सचिव (श्रेणी–2) के प्रारम्भिक पद पर स्थायीकरण आवश्यक होगा। परिवीक्षाधीन निजी सचिव (श्रेणी–2) को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के पश्चात निजी सचिव (श्रेणी–2) के पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदिः–
   - (क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाये।
   - (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, तथा
   - (ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

भाग–सात–ज्येष्ठता

1. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता, मुख्यालय के निजी सचिव सवंर्ग के पोषक पद अर्थात प्रथम नियुक्ति के पद की वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

भाग–आठ–वेतन

1. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के मौलिक अथवा स्थानापन्न पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान/ग्रेड वेतन वही होगा जैसा कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा अवधारित है तथा भविष्य में समय–समय पर अवधारित किया जायेगा।

भाग–नौ–अन्य उपबन्ध

1. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों से इतर किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश का कोई प्रयास उसे चयन/नियुक्ति के लिये अयोग्य कर देगा।

2. ऐसे विषय, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत आवरित न होते हों, वे, सेवारत निगम के सेवकों पर उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सामान्यतः समय–समय पर लागू नियमों/विनियमों एवं आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

3. इस विनियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से उत्पादन निगम में प्रचलित निजी सचिव श्रेणी–2, निजी सचिव श्रेणी–1 एवं निजी सचिव (विशेष श्रेणी) पदों हेतु इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य विनियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी "उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 मुख्यालय निजी सचिव सेवा विनियमावली–2020" प्रभावी होगी।

भाग–दस–शिथिलीकरण

1. यदि यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई हो रही है तथा न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही आवश्यक हो जाये तो उस मामलें, में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को ऐसे नियमों को शिथिल करने का विशेषाधिकार होगा।
2. उक्त विनियमावली के प्रख्यापित होने की तिथि से पूर्व में की गयी प्रोन्नतियॉ किसी भी दशा में प्रभावित नहीं होंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 47/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः190–190.38/मु0नि0स0/2020 तद्‌दिनाँक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/स्तर–2) अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ, एटा।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 05.02.2021 को सम्पन्न 190वी में प्रस्तुत आइटम संख्या –190.38 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05)/उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–02)/अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण इकाई)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

25/2/21

(तरूण कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)